फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री जितेन्द्र सोनी, 113 अपेक्स मॉल, लालकोठी टोंकरोड, जयपुर

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 60/2019**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 30.12.2019 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः प.1( )सू0अ0,05/2019/899–900 दिनांक 13.12.2019 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 20.09.2019 को सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय/अनुभाग को अन्तरण प्राप्त हुआ है। प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा आर.टी.आई. आवेदन से बिन्दु संख्या 01 लगायत 04 से चाही गई सूचना का विवरण अस्पष्ट होने से सूचना तक पहुंच बनाया जाना संभव नहीं होने से जरिये पत्रांक क्रमांकः प. 1( )सू0अ0,05/2019/705 दिनांक 10.10.2019 प्रार्थी/अपीलार्थी को पत्र प्रेषित कर चाही गई सूचना के पत्रांक व दिनांक एवं पत्रावली का विवरण स्पष्ट बताये ताकि सूचना तक पहुंच बनाई जा सकें। प्रार्थी/अपीलार्थी ने पत्र की पालना में किसी प्रकार स्पष्ट विवरण प्रस्तुत नहीं किया सीधे ही प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में पत्रांक व दिनांक एवं पत्रावली का विवरण स्पष्ट बताये तो सूचना तक पहुंच बनाई जा सकती है अन्यथा संभव नहीं है। प्रार्थी अपीलान्ट के आवेदन पत्र पर समय रहते सूचित किया गया। किन्तु पत्र की पालना में कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किये जाने से सूचना तक पहुंच बनाया जाना संभव नही हुआ है। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्टानुसार प्रस्तुत अपील में प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना के संबंध में पत्रांक व दिनांक एवं पत्रावली के विवरण का स्पष्ट	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उल्लेख नही किये जाने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)